



jkVh t \$ fofo/krk Ákf/kdj.k



**vkosu
ukel ph**



Ái= & III
vkosu 'kId
#- 500/-
Ái= IV & t \$od
Lkkku@Lfc) Kku dk
gLrkj.k

Ái= & IV
vkosu
'kId
#- 10,000/-


Ái= III & vkbZih vkj
vkosu djus ds fy,
http://nbaindia.org/uploaded/pdf/guidelines/Guide-
lines-for-filling-up-of-Form-III.pdf dk LkkOZya



dc vkosu dj%

- » Ái= III ds rgr vkosu djus ds fy,] vko"dkj fdLkh t \$od Lkkku ij fdLkh Òh 'k/k ; k t kudkj h ij vkkfjr vo'; guk plfg, A
- » vko"dkj eami; "x fd, x, t \$od Lkkku"ad" Òkjr Lks vo'; Ákr fd; k t kuk plfg.
- » Òkjr ea; k ckgj iVV vkosu nt Zdjus Lks igys Ái= III vkosu d" vo'; nt Zfd; k t kuk plfg, A
- » vkbZih vkj Ánku djus Lks igys, u ch, dh vuqfr Ákr dh t k xlA
- » d\$oy vkosu ea fu"V fd, x, nskaeagh vkbZih vkj Ákr djus ds fy, vuq"nu Ánku fd; k t k xlA
- » vkosu Ákr g"usdh fnukd Lks; FkkLdo 90 fnu dh vof/k ds Òhrj vkosu ds fui Vku dk , u ch , d" vknk fn; k t krk g"

आवेदक कोई व्यक्ति/सत्त्व जो पहले से ही प्रपत्र I के तहत जैविक संसाधन/सम्बद्ध ज्ञान का हस्तांतरण प्राप्त कर चुका था



- » , Lks fdLkh Òh Q f@LkO d" t" igys Lks gh Ái= I ds rgr fdLkh Òh t \$od Lkkku@Lfc) Kku rd vf0xe dj pqk Fk ogh fdLkh Òh Q f@LkO d" gLrkfjr djus Lks igys iWZvuq"nu Ákr djuk plfg,

geLks Lki dZdjia

l fpo
jkVh t \$ fofo/krk i kf/ldj.k
5 ohaefit y] VkbZih c k i kdj l h , l vkbZih j "M
rlj lef. k pLubZ& 600 113 rfeyuMj Hjir
Qk%044 2254 1075 / 1335 QSI %044 2254 1200
bZy%secretary@nba.nic.in
oc%www.nbaindia.org

Ái= IV Òjus ds cks eavf/kd t kudkj h ds fy,
http://nbaindia.org/uploaded/pdf/guidelines/Guide-
lines-for-filling-up-of-Form-IV.pdf dk LkkOZya

fMt kbu , oafodfLkr fd; k x; k }jgk LkbZhi hv", y] , u ch ,



राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एन बी ए) एक सांविधिक निकाय है जिसे भारत में जैविक संसाधनों और सम्बद्ध ज्ञान पर निर्दिष्ट की गई गतिविधियों को विनियमित करने का अधिकार है। इस तरह के जैविक संसाधनों और उनसे सम्बद्ध ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा सुरक्षित करना भी इसका लक्ष्य है। एन बी ए की नियामक शक्तियाँ निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान करने तक विस्तारित हैं

- » जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान तक अभिगम करना
- » जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से संबंधित शोध के परिणामों का हस्तांतरण
- » जैविक संसाधनों और/या उनसे संबंधित किसी भी जानकारी का उपयोग करके आविष्कार पर आई पी आर प्राप्त करना
- » एन बी ए के अनुमोदन के साथ पहले से ही अभिगम किए गए जैविक संसाधनों/ संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण
- » आपात उद्देश्य के लिए भारत के बाहर गैर-वाणिज्यिक शोध या शोध के संचालन के लिए जैविक संसाधन को भेजना/वहन करना

t ॥ LkLkku

एन बी ए में किसी भी आवेदन को दाखिल करने से पहले सुनिष्ठित किया जाने वाला प्राथमिक कारक है इस बात की पहचान करना कि क्या आवेदक जैव विविधता अधिनियम द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार किसी जैविक संसाधन के साथ काम कर रहा है।

- » पौधों, जानवरों और सूक्ष्म-जीवों, या उनके अंगों, आनुवंशिक सामग्री या वास्तविक अथवा संभावित उपयोग या मूल्य वाले उपोत्पादों को शामिल करता है
- » मानव आनुवंशिक सामग्री शामिल नहीं करता है
- » मूल्य वर्धित उत्पादों को उपोत्पादों की व्यापक श्रेणी से छूट दी गई है। यदि उपोत्पाद पौधों और पशुओं के पहचानने अयोग्य और भौतिक रूप से अवियोज्य रूप में अंशों या अर्कों से युक्त है, तो इसे एक मूल्य वर्धित उत्पाद के रूप में माना जाएगा, और जैविक संसाधनों की परिभाषा के भीतर नहीं माना जाएगा।

, u ch , vuqnu

जैव विविधता अधिनियम के तहत विनियमित विभिन्न गतिविधियों हेतु पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पाँच भिन्न-भिन्न प्रारूप हैं जिनके तहत आवेदक को एन बी ए के समक्ष आवेदन करना चाहिए। वे हैं प्रपत्र I, II, III, IV और बी।

Ái= | fuEufyf[kr d" djusdsfy, t \$od LkLkku@Kku rd vf0xe djuk

किन्हीं भी जैविक संसाधनों का अध्ययन या उनकी व्यवस्थित जाँच

जैविक प्रणालियों, जीवित जीवों या उनके संजातों का उपयोग कर किसी प्रोटैक्निकी अनुप्रयोग का अध्ययन या उसकी व्यवस्थित जाँच

किसी भी उपयोग के लिए उत्पादों या प्रक्रियाओं को बनाने या संशोधित करने का उद्देश्य।



अंत उपयोग जैसे कि औषधियाँ, औद्योगिक एंजाइम, भोजन स्वाद, खुशबू, सौंदर्य प्रसाधन, एमल्सीफार्यस, ओलियोरेजिन्स, रंग, अर्क आनुवंशिक हस्तक्षेप के माध्यम से फसलों व पशुधन में सुधार करने के लिए जीन का उपयोग

पारंपरिक प्रजनन को शामिल नहीं करता है कृषि, बागवानी, मुर्गी-पालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन या मधुमक्खी-पालन में प्रचलित पारंपरिक प्रथाओं को शामिल नहीं करता है




संग्रह या जैविक संसाधनों की प्रजातियों, उप-प्रजातियों, जीन या घटकों/अर्कों का संग्रह या सर्वेक्षण करना

इसके अलावा लक्षण-वर्णन, सूची-निर्माण (इन्वेंटराइज़ेशन) और जैव-परख (बायो-ऐसे) को शामिल करता है



Ái= & |
vlonu
' k d
#- 10,000/-



Ái= | Òjus ds cljs eavf/kd t kudljh ds fy,
<http://nbaindia.org/uploaded/pdf/guidelines/Guidelines-for-filling-up-of-Form-I.pdf> dk lkaÓZya

Ái= ||
vlonu
' k d
#- 5000/-

Ái= || & ' k/k ds i fj . lkadk Lfkukrj . k

Oljrh ulxfjd
xJ&Oljrh
, u vkj vkbz
Oljrh eaít hNr@fuxfer lkö
, lkLkio t" Oljrh eaít hNr
; k fuxfer ugE gä

' k j i wh @Ácaku ea xJ&
Oljrh , Olxlnjh ds Lkf
xJ&Oljrh] , u vkj vkbz
Oljrh lkö , lkLkio t"
Oljrh eaít hNr ; k fuxfer
ugE gä

- » शोध के परिणाम के हस्तांतरण में किसी भी जैविक संसाधन का हस्तांतरण शामिल नहीं होना चाहिए
- » शोध के हस्तांतरण के लिए बदले में वस्तु या नकद के रूप में प्रतिफल का अभाव आवेदक को प्रपत्र II दाखिल करने के दायित्व से छुटकारा नहीं देता है
- » किसी संगोष्ठी या कार्यशाला में शोध पत्रों के प्रकाशन या ज्ञान के प्रसार के लिए एन बी ए के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

Ái= || Òjus ds cljs eavf/kd t kudljh ds fy,
<http://nbaindia.org/uploaded/pdf/guidelines/Guidelines-for-filling-up-of-Form-II.pdf> dk lkaÓZya